

धारा - 212

गुलाबगंज

लखी

कलकत्ता

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>(2020/05232) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अन्वयति धारा 212 RTI Act</p>	<p>नम्बर अन्वयति हुक्म में</p>
------------------------	---	--

16/03/26 पत्रावली भेज दी। न्यायालय सत्र में प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता को आवेगें दितवाइंगई परन्तु कोई उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सत्र हाजरी एवं सत्र रिकॉर्ड में खातिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार लेकर दाखिल पत्रार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखी